

भारत सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र

Duplicate Copy CRSEP/1/8061

15/06/2021



हस्ताक्षर का नाम	धनबाद	अनुसूचित नाम	धनबाद	अर्पण का नाम	धनबाद	हलका	हलका-01
हस्ताक्षर का नाम	झारखण्ड	भाग	वर्तमान(VOL)	9	पृष्ठ संख्या	वर्तमान	5
						धन न.	2

क्रमिक संख्या	क्रिस न.	मौजा का नाम/ राजस्व धाना न	धाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	तगान	रीजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अनुपुक्ति				
18061	2686/R27 2021 - 2022	नवाडीह/ 2	झरिया	19/11/2021	By Sale Registration Deed 2463 Dated 21/06/2021	237	2	845	237	1558	2	डिसनील	3	

क्रेता का नाम :  
(प्रहलाद रवानी पिता-श्री शिव प्रसाद रवानी, जाति-----, पता-  
भूली बस्ती धनबाद)

जमाबंदी रैयत का नाम :  
भीम रवानी -पिता-स्व हेमलाल रवानी

विक्रेता का नाम :  
श्रीमती फुखिया देवी, पति-स्व० भीम रवानी, जाति---, पता-भूली  
बस्ती धनबाद

राजस्व कर्मचारी हलका-01 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित।  
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है  
यह पत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid  
Digitally signed by

PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद



Duplicate Copy

30-Nov-2021

## आदेश

तिथि

Nov 19 2021

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा नवाडीह थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
237	1558	0 एकड़, 2 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती फुखिया देवी	पति	स्व० भीम रवानी

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2463 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
भीम रवानी	पिता	स्व हेमलाल रवानी

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान 3रुपये

स्वीकृत किया जाता है। अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
PRASANT KUMAR LAYAK  
अंचलाधिकारी धनबाद